तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
07/05/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष द्वारा/अधिवक्ता की ओर से जवाबदावा की हाजरात जोगिंद के जवाब प्रा०पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। शामिल पत्र किया। दावा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी सं०1 व अधिवक्ता सं०2 की तामील हो चुकी है। अन्य प्रतिवादी गण बावजूद तामील उपस्थित नहीं। अतः उपस्थित के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 12/09/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
	12/04/25 प्रस्तावना पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. जा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जयपुर तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 13/05/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी
13/05/25	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष हाजिर। बहस पत्रावली दिनांक 14/05/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
14/05/25	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष हाजिर। बहस पत्रावली दिनांक 16/05/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
16/05/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष हाजिर। वकील उभयपक्ष द्वारा प्रा०पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस की गयी। हमने वकील उभयपक्ष बहस सुनी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 20/05/25 को पेश हो।

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 25)

वादीगण	प्रतिवादीगण	
रामदेव	बनाम	जगतविहारी
T.I	संख्या	123 सन् 2025

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	आदेश व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष/अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा की जानी बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रा०पत्र व पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। मूल वाद दावा दरख्वास्त दुरुस्ती नम्बरी वाद दरख्वास्त सं० 115 व स्थायी निषेधाज्ञा का है। वाद की सुनवाई के दौरान वादग्रस्त भूमि में यथास्थिति बनाये रखने के अन्तरवर्ती प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को क्रमवार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने व प्रार्थना पत्र, जवाब प्रा०पत्र व पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 25/09/2024 को तहसीला मुख्यालय कुचामन शुमार होकर वाद लम्बित होने तक प्रभावित रहेगा। पत्रावली कुचामन शुमार होकर वाद लम्बित होने तक दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा) 16/5/25	

-2000-10 लाख फा.

APP
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

कलेक्टर ..... मुकाम ..... बांदीकुई

रामफूल ..... बनाम ..... अटल बिहारी .....

T.I ..... नं० ..... 129 ..... सन् ..... 2024 .....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० वकील उभयपक्ष द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र, जवाब दा० पत्र व पत्रावली में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। मूल वाद दावा इन्हाज दुरुस्ती नक्शा बाबत खसरा नं० 115 व स्थायी निषेधाज्ञा का है। वाद की सुनवायी के दौरान वादग्रस्त भूमि में मजाहमत पैदा करने के मद्देनजर प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को क्रम में किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने व प्रार्थनापत्र, जवाब दा० पत्र व पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 25/09/2024 को ताऊसला मूलवाद के क्रम किया जाता है। पत्रावली कुलदीप कुमार हेडर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

16/5/25

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)